न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकांत व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 345/2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. जानी पुत्री कजोड जाति माली निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. भैरू पुत्र कजोड जाति माली निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र लादू जाति माली निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राज0 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–
1– श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक 05.03.2025

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन दिनांक 30.12.2021 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों के संदर्भ में विपक्षी सं. 1 की तामील के बावजुद उप0 नही होने से एक तरफा आदेश पारीत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार **मौजा बनेड़ा पटवार मण्डल बनेड़ा प्रथम तहसील बनेड़ा स्थित आराजी नं. 3940, 3941 कुता किता 02 रकबा 0.1897 है0,** भूमि प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है एवं प्रार्थीगण के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अडौसी–पडौसियों से मिन्नत करके अपनी स्वंय की आराजी तक पहुंचना पड़ता है। अतः विपक्षी संख्या 01 की आराजीया नम्बर 3942 भूमि में से 16 फिट रास्ता कायमी बाबत् प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

तहसीलदार बनेड़ा के पत्र **दिनांक 27.01.2025 से प्रकरण में हल्का पटवारी** बनेड़ा द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्शा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, एवं जमाबन्दी शामिल मिसल किये गये। प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत् रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा बनेडा की **आराजी सं. 3942 रकबा 0.2529 है0 चाही जाव द्वितीय में से 0.0297 है0** प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबंधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमंशा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि में पहुचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में **तहसीलदार बनेड़ा** से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार **आराजी सं. 3942 रकबा 0.2529 है0 चाही जाव द्वितीय में से 0.0297 है0** रास्ता प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार स्वीकार इस आशय के साथ किया जाता है कि **विपक्षी सं. 1** को डीएलसी की दुगनी दर अनुसार भुगतान उनके क्षैत्रफल (रास्ते) का राज्य सरकार में राशि जमा करवायेंगे।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र **मौजा बनेड़ा पटवार मण्डल बनेड़ा प्रथम तहसील बनेड़ा स्थित आराजी नं. 3940, 3941 कुता किता 02 रकबा 0.1897 है0,** भूमि में प्रार्थी के आने–जाने के लिए **आराजी सं. 3942 रकबा 0.2529 है0 चाही जाव द्वितीय में से 0.0297 है0** नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त **0.0297 है0** का जिसे नक्शा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्शा की एक प्रति तहसीलदार बनेड़ा को भिजवायी जाकर **हल्का पटवारी बनेडा** के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से **मौजा बनेड़ा पटवार मण्डल बनेडा प्रथम तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी सं. 3942 रकबा 0.2529 है0 चाही जाव द्वितीय में से 0.0297 है0** भूमि से मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेड़ा द्वारा किया जावें। यह आदेश तभी प्रभावी होगा जब **प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 1** को डीएलसी की दुगनी दर अनुसार भुगतान उनके क्षैत्रफल (रास्ते के) का करेगें

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा

(श्रीकांत व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा